राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग / नर्स–2(F) / स्था0 / कोर्ट केस / जे–06 / 2019 / दिनांकः–

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:अराज / सामान्य / 2018 / 852 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के अधीन कार्यरत श्रीमती जयाकुमारी खॉट, नर्स–2 जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा (कुचामन सिटी) नागौर पर अधिशेष थी का नवीन पदस्थापन राजकीय चिकित्सालय, लाडनू जिला नागौर में नर्स–2 के रिक्त पद पर किया गया था जिससे व्यथित होकर उन्होने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 4257 / 2018 दायर की जिसमें अधिकरण ने दिनांक 14.11.2018 को आदेश पारित किया जिसका मुख्यांश निम्नानुसार है:–

1 बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह अवगत कराया है कि अपीलार्थी आलोच्य कार्यमुक्त आदेश दिनांक 04.10.2018 (अनुलग्नक–3) के अनुपालना में राजकीय चिकित्सालय, लाडनू में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह सहमति दी है यदि अधिकरण अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और उस अभ्यावेदन को विधि के अनुसार एक निश्चित अवधि में निस्तारित करने का आदेश दे देता है तो, तद्नुसार इस अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया जावें।

2 प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं विशेषतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दिनांक 30.11.2018 तक अपनी अपील में वर्णित आधारों पर सक्षम प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देशित दिए जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी विधानसभा के होने वाले निर्वाचन के कम में वर्तमान में लागू आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के समाप्त होने के 20 दिवस में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) जारी कर निस्तारण करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें।

3 अतः अपील, मय स्थगन प्रार्थना–पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारण की जाती है।

उक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.11.2018 में उल्लेख किया है कि प्रार्थिया का आदेश दिनांक 07.09.2018 के द्वारा स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा ब्लॉक कुचामन नागौर से राजकीय चिकित्सालय, लाडनू कर दिया था, प्रार्थिया के दो छोटे बच्चे जिनमें एक पुत्र चितावा की स्कूल कक्षा 6 में है, में अध्ययनरत है तथा दूसरी बच्ची जो प्रार्थिया के पास होने, पति पत्नि दोनों एक ही विभाग व एक ही स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा ब्लॉक कुचामन, नागौर में सेवारत होने तथा प्रार्थिया का नियम विरूद्व स्थानान्तरण किये जाने एवं वर्तमान में भी चितावा में नर्स–2 का एक पद रिक्त होने आदि कारणों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा पदस्थापन बाबत राहत दिये जाने बाबत विरूद्व प्रार्थना की।

मेरे द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 एवं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.11.2018 जिले में रिक्त पदो की स्थिति एवं समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। निदेशालय के आदेश कमांकः अराज / सामान्य / 2018 / 852 दिनांक 07.09.2018 के क्रम संख्या 99 पर वर्णित श्रीमती जयाकुमारी खॉट, नर्स–2 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा (कुचामन सिटी) नागौर से राजकीय चिकित्सालय, लाडनू जिला नागौर किये गये पदस्थापन / स्थानान्तरण को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा में नर्स–2 का एक पद नवसृजित होने के मध्यनजर निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुऐ कर्मचारी श्रीमती जयाकुमारी खॉट, नर्स–2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा (कुचामन सिटी) नागौर में यथावत पदस्थापित रहेगी।

Sd/-

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग / नर्स–2(F) / स्था0 / कोर्ट केस / जे–06 / 2019 / 157 दिनांकः– 6-2-2019

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप विधी परामर्शी , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय, लाडनू जिला नागौर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितावा (कुचामनसिटी) नागौर।
6. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश / निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर